

विषय: 32/1/13

उपकरण क्रमांक 5757/2013 से 106

विषय: हस्ताक्षर एवं अन्य विषय मंत्रालय शासन उपकरण का विभाग

पंजीकरण 431/16 दिनांक 12/2/16

श्रीपट खेचलक मंत्रालय राज्य कृषि विभाग कोटे औद्योगिक कार्यालय गोपाल से प्राप्त उपकरण का कपड़ा आवेदन करे।

उक्त उपकरण में प्रतिवादी कृतांत एक की कोट से पक्ष स्थापित करे हेतु संयुक्त संचालक/उपसंचालक मंत्रालय राज्य कृषि विभाग कोटे औद्योगिक कार्यालय में प्रेषित की जाती अधिकांश निपुण करे हेतु प्रस्तावित किया गया है।

उक्त प्रतिवादी की कोट से प्रतिपक्ष हेतु भी महाविद्यालय कार्यालय जवाहर को विद्ये विभाग से निर्देश जारी करवाये जाके हेतु भी निवेदन किया गया है।

भारत से ही उपकारी अधिकांश निपुण करे हेतु आदेश जारी किया जावे।  
आदेशार्थ।

नारायण अनुमोदनाथी

2012 26/2/16

सर 'अ' अनुमोदनाथी प्रमोदनाथी

(क) अनापराधित।

Schubert

29/2/16 2.31

29/2/16

Schubert 11/3/16

प्रमुख राज्य

शाकेमुभो-93-उनिशाकेमुभो-11-5-12-12,00,000

29/2/16

515/16  
9/3/16  
9/3/16  
9/3/16

29/2/16

29/2/16

29/2/16

१०

सूची-२ सचिवालय

डी-५१३२/१६(५.३)

विषय :- सा.सू. ६७५७/५-से. रकी ईस्ट  
वि. शाखर एवं अ.५  
रेडिओ के

का विभाग

No. 393	PS/FWAD
Date 1/3/16	

प्रभारित अधिकारी निम्नलिखित कार्यवाही  
किया गया प्रतिरक्षण कार्य हेतु प्रकरण  
विद्युत विभाग को भेजा गया प्रस्तावित  
है।

अ.प्र. प्रतिरक्षण कार्य हेतु गये ३/३/१६  
०५०) विद्युत विभाग को भेजा गया प्रस्तावित  
कार्य।

अ.प्र.  
३/३/१६

D.५(५)  
से प्रतिरक्षण हेतु प्रकरण  
विद्युत विभाग को भेजा गया प्रस्तावित  
कार्य।

प्रमुख सचिव

अ.प्र.  
१/३/१६

प्रतिरक्षण कार्य जारी करें।

प्रमुख सचिव (विद्युत)

अ.प्र.

(सं. राजेश कुमार)  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
विज्ञान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
भोपाल

5/3/16  
4/3/16

5/5/16

अ.प्र.  
१/३/१६

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/ 51-5132/16/14-3/आदेश/

भोपाल दिनांक 2-3-16

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्या-5) आदेश शाखाईस के निम्न-  
2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये माननीय उच्च न्यायालय में दायर प्रकरण  
क्रमांक डब्ल्यूपी0-6759/2015 मेसर्स राठी ट्रेडर्स, प्रो० नरेश राठी गंडी पचोर जिला  
राजगढ़ विरुद्ध ग0प्र0 शासन एवं अन्य में संयुक्त संचालक/ उपसंचालक, म.प्र. राज्य  
कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, भोपाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया  
जाता है, वे मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा सराफी और से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनाओं पर  
हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आदेश देने करने और उप  
संज्ञात होने के लिए नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि  
मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के  
अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके बिना  
नीचे दिये गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यक हो और  
याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त  
जगहकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शारणीय अभिवक्ता को  
सहायता पहुँचाने की सम्मति है, रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से  
परामर्श किया गया था, तो उक्त विभाग की राय में रिपोर्ट में निर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की  
जाएगी।
2. समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. याच पत्र/याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी  
आतिरिक्त जगहकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिवक्ता को सहायता पहुँचाने की सम्मति  
है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सम्मति के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा।
6. शासकीय अधिवक्ता की सहायता।
7. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
  - (क) याच पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है, और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
  - (घ) मामले के विरुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें याच की  
सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
8. मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और  
मामले उक्त प्रकरण और प्रक्रिया के लिये किटे गये कर्तव्यों से स्वयं को सचेत की अवस्था रखना।
9. उक्त में कोई आदेश/निर्देश विधिकृत मध्यप्रदेश राज्य के सरकार द्वारा किया जाता है  
तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उक्तों प्रमाणों प्रति प्रेषित करना है सिधे उक्त विभाग  
या आयोगी कर्त विवरण का आदेश देना।

10. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिकृत की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना।
11. यह देखना है कि आवेदन करने में तार्किक प्रमाणित प्रतियोग प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, तब प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में रागव गड़ नहीं हो।
12. जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।
13. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिकृत की हर राय सहयोग देगा तथा इस बाबत के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण स्थिति या दस्तावेज अप्रकाशित/छुपी हुई नहीं रह जाये।
14. प्रभारी अधिकारी, नमूने दिनांक अभियोजक मुकर्रर है तो वह, जैसे ही बाद का दिनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
15. प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी बाद के प्रकरण में परिवर्तित किया गया है अतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाये विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपना अनुशरण के साथ (सरकार) प्रशासकीय विभाग को अन्तर्गते कर।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(अवर-सचिव)

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल

गोपाल दिनांक 2-3-16

क्रमांक/ 5732/2016/14-5  
प्रतिलिपि :-

1. महासचिवता/अतिरिक्त महासचिवता/उप महासचिवता, मध्यप्रदेश जबलपुर,
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल
3. प्रबन्ध संचालक MOPRO राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
4. संबंधित जिलाध्यक्ष, राजगढ़ मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त सचिव/उपसचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विभाग बंडा, आदेशों के कार्यालय भोपाल (म.प्र.) प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित। साथ ही शासकीय अधिकृत से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक गैर (डिप्ट) पर शासकीय अधिकृत से अपने की कार्यवाही के लिये सल्लाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उन्हें उनके विभागाध्यक्ष को सल्लाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उन्हें उनके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे। मामले की सुनवाई तारीख 2/2/16 हेतु नियत की गई है।

अवर-सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल

**BY. ELECTRONIC POST**

**IN THE High Court of Judicature at Jabalpur Bench at Indore**

1061  
30-1-16  
Deputy Registrar,  
High Court of Judicature  
at Indore

WP/6759/2015

Against Adm. and IR.  
Fixed for 08-03-2016  
WP-DA-1  
Respondent No. 1

State of M.P.,  
Through Principal Secretary,  
Agriculture Department,  
Vidhata Bhawan, Bhopal,  
District Bhopal (MADHYA PRADESH),

Indore 04-01-2016

Notice to Respondent No. 1 in writ Petition (Mandamus/Prohibition/Certiorari/Quo Warranto) No. WP/6759/2015

to Mr. Laxmi


I am directed to inform you that on 04-01-2016 Itathi Traders Through Nuresh has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (copy enclosed) in this Court, and the same is registered as a Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/6759/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 08-03-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.

(1 of the Court)  
(2) Copy of Petition

Your's faithfully

  
DEPUTY REGISTRAR



6/2  
Saturday 02 January 2016 04:17